



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासिन कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-29, फरीदाबाद-121008
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE
NACIN Complex, Sector-29, Faridabad-121008
ई-मेल/E-mail : dg.nacn-cbec@nic.in
फोन / Telephone : 0129-2504652-54
फैक्स/Fax : 0129-2504632

(ई-मेल के माध्यम से)

फा.सं. NACIN/ TRNG/24/2024-I-S-TRNG

दिनांक: 08.01.2024

आदरणीय महोदया/महोदय,

विषय:- नासिन, फरीदाबाद द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए "सेवानिवृत्ति: स्वास्थ्य एवं संपदा प्रबंधन" विषय पर दिनांक 19.02.2024 & 20.02.2024 को ऑफलाइन प्रशिक्षण के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 19.02.2024 & 20.02.2024 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए "सेवानिवृत्ति: स्वास्थ्य एवं संपदा प्रबंधन" विषय पर ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

2. उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के ग्रुप 'ए' के अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। नामांकन केवल अधोलिखित EXCEL प्रोफॉर्मा में ही भेजे जाये।

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (In capital letters)
--------	---------------------	-------------	-------------	------------------	------	------------	-------------------------------

3. नामांकन दिनांक 07 फरवरी 2024 साँय 5 बजे तक केवल ई-मेल के माध्यम से, ई-मेल आईडी- istnacn-faridabad@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

4. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय संरचनाओं से पर्याप्त संख्या में नामांकन प्राप्त होने के बाद ही आयोजित किया जाएगा। इसलिए, प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे आईएसटी अनुभाग नासिन फरीदाबाद द्वारा नामांकन की पुष्टि के बाद ही अपना आवागमन निर्धारित करें।

5. उपर्युक्त प्रशिक्षण सत्र से संबन्धित किसी भी जानकारी हेतु श्री पवन अग्रवाल, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9654022143) एवं श्री अखिलेश मीना, अपर सहायक निदेशक (Mob. 85866863515) से संपर्क किया जा सकता है।

6. नामांकन पत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनुज शर्मा)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषण:

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
3. प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआईसी के तहत सभी निदेशालय)
4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
7. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय
8. सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाईट